सं०सं०–म०नि०–II–उ०यो०–08 / 2022–23..08....510/...

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, (भा०प्र०से०)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची, दिनांक..18/06/23

विषय– **राज्य योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना का कुल मो0 815.9825 लाख (आठ करोड़ पंद्रह लाख अन्ठानवे हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति एवं व्यय के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजना अन्तर्गत केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् केज अधिष्ठापन, इनपुट, केज रिमॉडलिंग आदि की कुल मो0 815.9825 लाख (आठ करोड़ पंद्रह लाख अन्ठानवे हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र की लागत पर योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु मो0 825.00 लाख (आठ करोड़ पच्चीस लाख) रूपये का योजना उद्व्यय निर्धारित है तथा इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 815.9825 लाख (आठ करोड़ पंद्रह लाख अन्ठानवे हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना

(राशि लाख रु0 में)

क्र0	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010166010323**	200.00	196.958	3.042
2	101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050010166010544**	84.00	83.7675	0.2325
	उप योग:	**284.00**	**280.7255**	**3.2745**
3	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23– आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078966010323**	**60.00**	58.774	1.226
4	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050078966010544**	**81.00**	80.4825	0.5175
	उप योग:	**141.00**	**139.2565**	**1.7435**

Scanned by CamScanner

क्र0	लघु शीर्ष/विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
5	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S2405007966010323**	200.00	197.258	2.742
6	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S2405007966010544**	200.00	198.7425	1.2575
	उप योगः	400.00	396.0005	3.9995
	कुल योगः	825.00	815.9825	9.0175

कुल मो0 815.9825 लाख (आठ करोड़ पंद्रह लाख अन्ठानवे हजार दो सौ पचास) रुपये मात्र।

4. राज्य के वैसे सभी खदान जिनमें मछली पालन की संभावना है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने तथा स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न शर्त्तों के साथ राज्य योजना अन्तर्गत यह योजना स्वीकृत की गई है–

i. केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण में चालू वित्तीय वर्ष में खदानों में केज कल्चर द्वारा मछली पालन किया जायेगा।

ii. खदानों में केज कल्चर में मुख्यतः G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल अथवा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 878 दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत है, में जिला मत्स्य पदाधिकारियों की अनुशंसा अनुसार खदानों में बड़े केज अर्थात् 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी से बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ घुलनशील ऑक्सीजन जलाशयों की तुलना में कम होता है। साथ ही बड़े केज होने से पानी का बहाव बेहतर होगा।

iii. **खदानों का चयन** –

1. जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो।
2. पहुँच पथ हो तथा आबादी के नजदीक हो।
3. मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो अथवा स्थानीय लाभुक अपना अंशदान लगाने के इच्छुक हों।

iv. **लाभुकों का चयन** – लाभुकों का चयन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निम्न शर्त्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :–

1. लाभुकों के चयन में खदानों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि खदान के उपयोग हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो तो उसके सदस्य हो।
3. खदान के आस–पास के निवासी हों।
4. लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो।
5. मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है।
6. एक बैटरी में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं।

5. **केज अधिष्ठापन** –

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,87,850/– रु0 मात्र तथा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,67,350/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

Scanned by CamScanner

इन्हीं उपलब्ध प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए दोनों आकार के केज बैटरी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 3,60,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी की दर निर्धारित की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये उपरोक्त दोनों प्रकार के केज बैटरी की इकाई लागत मो0 3,58,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1839 दिनांक 22.12.2021 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज का अधिष्ठापन लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित प्रति केज–बैटरी की दर मो0 3,58,000/– रु0 मात्र पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 3,22,200/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। खदानों के विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज अधिष्ठापन में 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

6. केज में इनपुट –

(i) विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों आकार के केज–बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/–रु0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

(ii) लाभुक के द्वारा इनपुट यथा समुचित संख्या में मत्स्य बीज (प्रति बैटरी कम से कम 12000 मत्स्य बीज) संचयन के उपरांत एवं मानक कम्पनियों के 2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फिश फीड तथा आवश्यकतानुसार 4 mm फ्लोटिंग फिश फीड के GST सहित अभिश्रव प्रस्तुत करने अथवा झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से 4 mm फ्लोटिंग फिश फीड के कय पर ही इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तीन किस्तों में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(iii) फिश फीड के कय की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी।

7. केज मत्स्य पालकों को नाव – केज मत्स्य पालकों को नाव भी उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना तथा केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत सामान्य नाव हेतु स्वीकृत दर के अनुरुप ही केज लाभुकों को दिये जाने वाले नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 30,000/– (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि लाभुक सदस्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा कय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

8. केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट – केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें MMD Approved, 16.5 kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neopolene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत इसी कार्य हेतु पूर्व आकलित दर 1600/– रुपये पर ही स्वीकृत 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1200/– रु0 मात्र) की दर से देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा कय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

Scanned by CamScanner

9. केज रिमॉडलिंग – प्राकृतिक आपदा, स्थानीय चक्रवात, कॉप कैश के कारण लाभुकों/धारक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के टूटे केज की रिमॉडलिंग हेतु जीर्णोद्धार मद में राशि स्वीकृत की गई है।

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने चार केज–एक बैटरी मॉडल/दो केज–एक बैटरी मॉडल/एक केज–एक बैटरी मॉडल के एक केज–एक बैटरी में रिमॉडलिंग के मो0 1,83,500/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित करते हुये केज रिमॉडलिंग की इकाई लागत मो0 1,82,500/– रु0 मात्र प्रति निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 180 दिनांक 27.01.2023 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज रिमॉडलिंग कार्य लाभुक/धारक समिति द्वारा उपर्युक्त कंडिका 9 (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) '' इच्छा की अभिव्यक्ति '' में निर्धारित केज रिमॉडलिंग दर मो0 1,82,500/– रु0 मात्र प्रति पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 1,64,250/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक/धारक समिति का अंशदान होगा। जलाशयों के विस्थापितों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज रिमॉडलिंग में भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

(v) केज रिमॉडलिंग हेतु लाभुक पूर्व में केज धारक अथवा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो। मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है। लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो। चार केज–एक बैटरी मॉडल अथवा दो केज–एक बैटरी मॉडल में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं। जलाशयों के विस्थापित केज धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vii) केज रिमॉडलिंग के लिए इच्छुक लाभुक/धारक समिति जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुकों के साथ करेंगे।

(viii) मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिमॉडलिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ्स (Latitude – Longitude सहित), रिमॉडलिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची, मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या तथा रिमॉडलिंग के उपरांत फोटोग्राफ एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य संपादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिमॉडलिंग में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

10. योजना के तहत कंडिका–5 एवं 9 में अंकित Components हेतु चयनित प्रत्येक लाभुकों का Escrow Account संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से खोला जायेगा एवं अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के संबंधित बैंक खातों (Escrow Account) में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा। अंतिम रुप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को भी अपना अंशदान Escrow Account में 01 (एक) माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को योजना का लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। आवेदक/आवेदक समिति के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। केज अधिष्ठापन एवं केज रिमॉडलिंग के उपरांत किये गये कार्य के

Scanned by CamScanner

अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि कार्य एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी।

11. योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा एवं निदेशक मत्स्य द्वारा उप मत्स्य निदेशकों/सहायक मत्स्य निदेशकों से रैंडम निरीक्षण कराया जाएगा।

12. क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस कार्य हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्ही कार्यों में किया जाय।

13. जिलावार/लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–I** एवं **II** के रूप में संलग्न है।

14. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, गुमला, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, पलामू, दुमका तथा गोड्डा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा, सरायकेला–खरसावाँ, रामगढ़, कोडरमा तथा पाकुड़ होंगे जो **परिशिष्ट–I** एवं **II** में जिलावार अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

15. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे।

16. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

17. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

18. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 800.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 796.60 लाख रु0) मात्र में से मो0 773.63 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

19. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

20. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

21. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन करते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

22. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव तथा प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

25. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

26. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 08 म0 (प्रा0) /रॉंची, दिनांक 13/06/23
प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉंची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 08 म0 (प्रा0) /रॉंची, दिनांक 13/06/23
प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त तथा सभी अपर समाहर्ता (अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 08 म0 (प्रा0) /रॉंची, दिनांक 13/06/23
प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट II

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् जलाशयों के केजों के रिमॉडलिंग का भौतिक (केज बैटरी) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन		लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना		कुल भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
		विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	0	0.0000	5	8.2125	15	24.6375	20	32.8500
2	गुमला	0	0.0000	4	6.5700	8	13.1400	12	19.7100
3	सिमडेगा	0	0.0000	0	0.0000	7	11.4975	7	11.4975
4	चाईबासा	0	0.0000	0	0.0000	20	32.8500	20	32.8500
5	सरायकेला	0	0.0000	2	3.2850	36	59.1300	38	62.4150
6	हजारीबाग	16	26.2800	11	18.0675	0	0.0000	27	44.3475
7	रामगढ़	5	8.2125	0	0.0000	0	0.0000	5	8.2125
8	कोडरमा	10	16.4250	15	24.6375	0	0.0000	25	41.0625
9	बोकारो	0	0.0000	8	13.1400	0	0.0000	8	13.1400
10	चतरा	10	16.4250	0	0.0000	0	0.0000	10	16.4250
11	दुमका	0	0.0000	0	0.0000	35	57.4875	35	57.4875
12	गोड्डा	10	16.4250	4	6.5700	0	0.0000	14	22.9950
	कुल	51	83.7675	49	80.4825	121	198.7425	221	362.9925

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

मो0 तीन करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार दो सौ पचास रु0 मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत खदानों में केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(क) लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन

कम	जिला का नाम	खदान	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पलामू	खदान	5	16.110	10.00	2	0.60	5	0.060	26.770
2	हजारीबाग	खदान	10	32.220	20.00	3	0.90	10	0.120	53.240
3	रामगढ़	खदान	5	16.110	10.00	2	0.60	5	0.060	26.770
4	बोकारो	खदान	17	54.774	34.00	4	1.20	17	0.204	90.178
		उप योगः	**37**	**119.214**	**74.00**	**11**	**3.30**	**37**	**0.444**	**196.958**

(ख) लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

कम	जिला का नाम	खदान	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राँची	खदान	8	25.78	16.00	3	0.90	8	0.10	42.77
2	हजारीबाग	खदान	3	9.67	6.00	1	0.30	3	0.04	16.00
		उप योगः	**11**	**35.442**	**22.00**	**4**	**1.20**	**11**	**0.132**	**58.774**

(ग) लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना

कम	जिला का नाम	खदान	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
			केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राँची	खदान	10	32.2200	20.00	3	0.90	10	0.120	53.240
2	चाईबासा	खदान	10	32.2200	20.00	3	0.90	10	0.120	53.240
3	दुमका	खदान	10	32.2200	20.00	3	0.90	10	0.120	53.240
4	पाकुड़	खदान	7	22.5540	14.00	3	0.90	7	0.084	37.538
		उप योगः	**37**	**119.214**	**74.00**	**12**	**3.60**	**37**	**0.444**	**197.258**
		कुल योगः	**85**	**273.870**	**170.00**	**27**	**8.10**	**85**	**1.02**	**452.990**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।) (क) + (ख) + (ग) कुल मो0 चार करोड़ बावन लाख निन्यानवे हजार रु0 मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner